न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 400 सन 2022

अनवान :–

1. शंकरलाल पुत्र निराणाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र निराणाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. लीलाधर पुत्र गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. गंजानन्द पुत्र गोपीराम उम्र 16साल नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता बिदामी पत्नी गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
4. बिदामी पत्नी गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
5. माया पुत्री जगदीश जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
6. लिछमा पुत्री गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
7. सुमन पुत्री निराणाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
8. मानादेवी पुत्री निराणाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
9. विमला पुत्री निराणाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 87/85 की कुल 8.2080हैक व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 88/86 की कुल 9.7130हैक भूमि दोनो खातो में भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता निराणाराम पुत्र धन्नाराम का देहान्त हो चुका है निराणाराम पुत्र धन्नाराम के पुत्र जगदीश , गोपीराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है।

बिदामी पत्नी जगदीश ने अपने पति जगदीश के देहान्त होने के बाद जगदीश के भाई गोपीराम के साथ शादी कर ली जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 एवं 6 है तथा प्रतिवादी संख्या 5 जो जगदीश की पुत्री है का भरण पोषण वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 सयुक्त तौर से करते आ रहे है।

वाद भूमि का परिवारिक समझौता किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 जो गोपीराम के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 जो वादी की बहने एवं निराणाराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 ,के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे

उपखण्ड अधिकारी

परिवारिक समझौता के अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम से दर्ज है निराणाराम पुत्र धन्नाराम एवं उनके पुत्र जगदीश एवं गोपीराम का देहान्त हो चुका है तथा बिदामी पत्नी जगदीश ने जगदीश के देहान्त होने पर जगदीश के भाई गोपीराम से शादी कर ली थी जिसका भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 जो गोपीराम की पुत्र/पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपनी माता प्रतिवादी संख्या 4 व बहन प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष मे त्याग कर दिया है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 जो वादी की बहने एवं निराणाराम की पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों /भाईयो के वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,4, 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 87/85 की कुल 8.2080हैक व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 88/86 की कुल 9.7130हैक भूमि दोनो खातो में भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता निराणाराम पुत्र धन्नाराम का देहान्त हो चुका है निराणाराम पुत्र धन्नाराम के पुत्र जगदीश , गोपीराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है।

बिदामी पत्नी जगदीश ने अपने पति जगदीश के देहान्त होने के बाद जगदीश के भाई गोपीराम के साथ शादी कर ली जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 एवं 6 है तथा प्रतिवादी संख्या 5 जो जगदीश की पुत्री है का भरण पोषण वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 सयुक्त तौर से करते आ रहे है।

वाद भूमि का परिवारिक समझौता किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 जो गोपीराम के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 जो वादी की बहने एवं निराणाराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 ,के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 87/85 की कुल 8.2080हैक व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 88/86 की कुल 9.7130हैक भूमि दोनो खातो में भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान मे उसके पिता निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता निराणाराम पुत्र धन्नाराम एवं उसके पुत्र जगदीश एव गोपीराम का देहानत हो चुका है जिसके जायज वारिसान उक्तानुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,6 ,7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,6 ,7 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 ,7 ता 9 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 87/85 की कुल 8.2080हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.29326हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.58628हैक वादी अकेला 0.58628हैक प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 0.58628हैक भूमि तथा खाता संख्या 88/86 की कुल 9.7130हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 अकेली 0.34715हैक प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 0.6937हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.6937 हिस्सा व वादी अकेला 0.6937हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. शंकरलाल पुत्र निराणाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 महावीर पुत्र निराणाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. लीलाधर पुत्र गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. गंजानन्द पुत्र गोपीराम उम्र 16साल नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता बिदामी पत्नी गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
4. बिदामी पत्नी गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
5. माया पुत्री जगदीश जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
6. लिछमा पुत्री गोपीराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
7. सुमन पुत्री निराणाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
8. मानादेवी पुत्री निराणाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
9. विमला पुत्री निराणाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 400 सन 2022 निर्णय दिनांक– 24/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 87/85 की कुल 8.2080हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.29326हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.58628हैक वादी अकेला 0.58628हैक प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 0.58628हैक भूमि तथा खाता संख्या 88/86 की कुल 9.7130हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि निराणाराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 अकेली 0. 34715हैक प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 0.6937हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.6937 हिस्सा व वादी अकेला 0.6937हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर